राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर।

विविध प्रार्थना पत्र संख्याः– 12/2017 ....जिला–जयपुर।

उनवान– मैसर्स खैतान अलॉयज प्रा.लि. जयपुर बनाम बनाम सहायक आयुक्त, विशेष वृत–तृतीय, जोन–प्रथम, जयपुर व अपीलीय प्राधिकारी तृतीय, जयपुर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
09.05.2017	**एकलपीठ** **श्री.खेमराज, अध्यक्ष** व्यवहारी की ओर से यह विविध प्रार्थना पत्र कर बोर्ड की एकलपीठ द्वारा अपील संख्या 2393/2016/जयपुर मैसर्स खैतान अलॉयज प्रा.लि., जयपुर बनाम सहायक आयुक्त, विशेष वृत–तृतीय, सम्भाग–प्रथम, जयपुर में पारित निर्णय दिनांक 20.12.2016 के संबंध में प्रस्तुत कर, निस्तारण की समयावधि बढ़ाने हेतु निवेदन किया गया है । व्यवहारी की ओर श्री अलकेश शर्मा,अभिभाषक व विभाग की ओर से श्री एन.के.बैद, उप राजकीय अभिभाषक उपस्थित । उक्त विविधि प्रार्थना पत्र के द्वारा व्यवहारी की ओर से प्रकरण में निस्तारण करने की समयावधि बढ़ाने के संबंध में निवेदन किया गया,जिस पर विभाग की ओर से किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं प्रकट की गयी । उभयपक्षीय बहस व व्यवहारी की ओर से प्रस्तुत विविध प्रार्थना पत्र पर विचार करने के पश्चात् न्यायहित में यह पीठ यह अनुभव करती है कि प्रकरण के निस्तारण हेतु कर बोर्ड की एकलपीठ द्वारा निर्णय दिनांक 20.12.2016 के जरिये पूर्व में निर्धारित समय सीमा को आज दिनांक से आगामी दो माह तक के लिए बढ़ाया जाना उचित है। अतः अपील प्रकरण के निस्तारण की समयसीमा दो माह तक के लिए बढ़ायी जाती है । निर्णय सुनाया गया । (खेमराज) अध्यक्ष	